न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 5608 / 2005 / हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

.....अपीलार्थी

बनाम

1— गोविन्दराम
2— पतराम
3— श्योदानाराम
4— आईदान
पिसरान रामरिख अकवाम ब्राहमण सकनाऐं भंगूली, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5— माघाराम
6— रतीराम
पिसरान तुलछीराम जाति ब्राहमण सकनाऐं भंगूली, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.पी.ओझा, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अमृतपाल सिंह वानर अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25—8—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट /वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्त—कारी अधिनियम, 1955 का विरुद्ध अपीलान्ट व देवस्थान विभाग के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 ते 4 के पिता रामरख व 5 ते 6 के पिता तुलछीराम

जाति ब्राहम्ण निवासी भंगूली के साबिक खसरा नम्बर 10 रकबा 43–15 बीघा, खसरा नंबर 68 रकबा 54–04 बीघा कुल 98–01 बीघा भूमि जो कि ग्राम भंगूली में स्थित है, को सम्वत 2000 से पूर्व जागीर के वक्त प्राप्त की थी और बहिस्सा बराबर खातेदारी की भूमि है। पैमाईश 2001 में दोनों के नाम खुदकाश्त दर्ज थी। तुलखीराम व रामरख पुत्र भगवानाराम जो कि ब्राहम्ण है, के कारण तत्कालीन रियासत द्वारा खसरा नम्बर 10 की लगान माफी बक्श दी गई थी और सम्वत 2012 में भी उक्त भूमि राजस्व महकमा द्वारा खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया था और साबिक खसरा नम्बर 68, रकबा 54–04 बीघा गत पैमाईश में हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 28–04, खसरा नंबर 107 रकबा 27 बीघा में व साबिक खसरा नम्बर 10 मिन हाल नये खसरा नम्बर 149 रकबा 18 बीघा व 151 रकबा 25–17 बीघा में परिवर्तित व पैमूद कर दिये गये है। हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 28–04 बीघा व 107 रकबा 27 बीघा वादीगण के नाम उनके हिस्से अनुसार बतौर खातेदारी दर्ज कर दी गई है। किंतु खसरा नम्बर 149 रकबा 18 बीघा व 151 रकबा 25–17 बीघा गत पैमाईश की मुर्तिब मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 में वादीगण को काश्तकार के खाने में दर्ज किया गया किन्तु उसके पहले डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज खातेदार व वादीगण को बएतमाम पुजारी दर्ज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध, अनुचित व अवैध है । जिसे दुरस्त कराने हेतु कई दफा प्रतिवादी राज्य सरकार को कहा गया किन्तु उन्होनें कोई सुनवाई नहीं की। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकार नोहर ने वादी रेस्पोडेंट का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–02 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–8–05 द्वारा प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर वाद डिक्री कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–8–05 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत है। राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 10 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी की भूमि थी और हाल पैमाइश में जो उसके खसरा नम्बर थे, उसमें इस भूमि को मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज करते हुए वादीगण की हैसियत बतौर पुजारी दर्ज की गई थी वह विधिसम्मत थी तथा पुजारी को मूर्ति मंदिर की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कोई वैधानिक अधिकार

प्राप्त नहीं होते है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 में मूर्ति मंदिर को खातेदार मानते हुए वादीगण का दावा खारिज किया था वह विधिसम्मत था किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का मनमाना अर्थ लगाते हुए दावा डिक्री करने में भारी भूल की है। राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि सम्वत 2009 से 2012 की खतौनी खेवट में खसरा नम्बर 10 रकबा 43–17 बीघा भूमि का लगान जरिये मिसल नम्बर 167 मजरूआ 6.12.45 बाहुक्म दफतर एस. ओ. तारीख 2–5–47 माफ था और भूमि आराजी मंदिर श्री ठाकुर जी की थी। इस कारण उसका लगान माफ था। इस प्रकार जागीर के वक्त से ही यह भूमि मूर्ति मंदिर की चली आ रही थी और रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पिता इस मंदिर के पुजारी होने के कारण लगान माफ था। इस कारण सन् 1955 के बाद जो रेकार्ड बना, उसमें मूर्ति मंदिर को बतौर खातेदार काश्तकार सही रूपसे दर्ज किया गया था। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसकी भूमि पर पुजारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को विधि के अनुसार खारिज किया था किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने उसे अनियमित रूपसे निरस्त कर दावा डिक्री करने में भारी भूल की है। राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आराजी मुतनाजा सन् 1945 में ही सक्षम अधिकारी के आदेश से मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज चली आ रही थी और धारा 46 (1)(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की जो परिभाषा दी गई है, उसमें मूर्ति मंदिर को शास्वत नाबालिग माना गया है और राजस्व मण्डल की बृहद्ध पीठ ने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों में मूर्ति मंदिर को शाश्वत नाबालिग मानते हुए मूर्ति मंदिर की भूमि पर पुजारी एवं कृषक को कोई टिनेन्सी अधिकार प्राप्त होना नहीं माना। इस कारण राजस्व अपील अधिकारी ने मूर्ति मंदिर की भूमि पर जो अधिकार दिये है वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने भी अपने वाद पत्र में यह माना है कि खसरा नम्बर 10 का लगान माफ था और यह भूमि तत्कालीन रियासत के समय से ही सन् 1945 में माफी मंदिर दर्ज कर दी गई थी, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही था किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने विवादित भूमि के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का मनमाना अर्थ लगाते हुए निर्णय प्रदान किया है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। इस कारण मंदिर की भूमि को यदि कोई व्यक्ति या पुजारी काश्त करता है तो यह काश्त मंदिर की स्वयं की माश्त मानी जाती है और स्वयं की काश्त होने से उसकी खुदकाश्त की मानी जाती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति मंदिर स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाती है। उनका यह भी कथन है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय में मंदिर ठाकुरजी को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वह आवश्यक पक्षकार था। परीक्षण न्यायालय द्वारा रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं

विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि जमाबंदी संवत् 2009 से 2012 में वादीगण खातेदार दर्ज है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर वादीगण की खातेदारी संवत् 2009 से 2012 में होना स्वीकार किया है। विवादित आराजी पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काबिजकाश्त है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से वे स्वयं खातेदार दर्ज हो गये। विवादित आराजी पर वादीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जाकाश्त होने की स्थिति में ही अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी नोहर ने साबित नहीं होने की स्थिति में खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 25—8—05 से स्वीकार कर वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध हस्तगत् द्वितीय अपील राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई। प्रथम तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रस्तुत दस्तावेज नकल खतौनी 2009 से 2012 के कॉलम नं0 4 में तुलछीराम व रामरिख पि0 भगवानाराम कौम ब्राहमण साकिन देह ब0हि0ब0के नाम दर्ज है तथा कॉलम नंबर 5 में इनकी खुदकाश्त दर्ज है। कॉलम नंबर 16 में मि0न0 167 दिनांक 6—12—45 में आदेश द्वारा मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज खातेदार बएवज पुजारी मंदर दर्ज है तथा हाल रिकार्ड में (डोली बनाम) मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज खातेदार बएतमाम पुजारी वादीगण का नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या विवादित आराजी मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज की खातेदारी की होना तथा कब्जेकाश्त में पुजारी वादीगण की चली आना स्पष्ट होने से विचारण न्यायालय ने तनकी सं.1 वादीगण के विरूद्ध तय की है। तनकी सं. 2 से 6 तनकी सं.1 पर आधारित होने से उनका विवेचन किया जाना विचारण न्यायालय ने आवश्यक नहीं माना। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का खातेदार मूर्ति मंदिर

श्री ठाकुर जी महाराज को मानते हुये वादीगण को बतौर पुजारी की हैसियत से काबिजकाश्त माना तथा वादीगण का वाद साबित नहीं होने की स्थिति में खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने का मुख्य आधार यह लिया है कि विवादित आराजी पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से खातेदार एवं काबिजकाश्त चले आ रहे है ऐसी स्थिति में तनकी सं.1 वादीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित करते हुये वाद को डिक्री किया है। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी 2009 से 2012 के कॉलम नं0 4 में तुलछीराम व रामरिख पि0 भगवानाराम कौम ब्राहमण साकिन देह ब0हि0ब0के नाम दर्ज है तथा कॉलम नंबर 5 में इनकी खुदकाश्त दर्ज है। कोलम नम्बर 16 में मि. नं. 167 मजरूआ 06–12–1945 बाहुक्म दफ्तर एसओ दिनांक 02–05–1947 से खसरा नम्बर 10 तादादी 43–17 बीघा आराजी का सालम लगान बहक मन्दिर श्री ठाकुरजी बएवज पुजारी मंदर बनाम काबजान का नोट अंकित है। खतौनी संवत 2001 में भी यही नोट अंकित है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व से ही मंदिर मूर्ति ठाकुर जी महाराज की खातेदारी की आराजी थी तथा वादीगण उस पर पुजारी की हैसियत से काश्त करते थे। इस खंड पीठ के विनम्र मत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। नकल खतौनी संवत् 2009 से 2012 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का लगान माफ था तथा वादीगण पुजारी की हैसियत से मंदिर की ओर से काश्त करते थे। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे।

8– विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये वादी का वाद खारिज किया था जिसमें कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादीगण का वाद सिद्ध नही होने की स्थिति में ही विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ निष्कर्ष अंकित कर वादी का वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों व दस्तावेजों को सही आलोक में नहीं देखकर वादी की अपील दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत स्वीकार की है तथा

वादी का वाद डिक्री करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से समर्थन योग्य है एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से असमर्थनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है तथा द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

9— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25—8—05 को निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—11—02 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष